उभयपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश

दिनांक 14.03.2022 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

14.03.22 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रा०पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि सायल द्वारा प्रा०पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत ग्राम खेडला बुजुर्ग तहसील महवा स्थित आराजी खसरा नम्बर 987 रकबा 0.66 व 995 रकबा 2.88 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 3.54 है० मे सायल के गैरसायलान को पाबन्द करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रा०पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजि० किया गया। गैर सायलान की जरिये नोटिस तलबी की गई। गैर सायलान सं 1 व 2 की ओर से जवाब पेश हुआ तथा गैर सायल सं० 3 व 4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। सायल ने प्रा०पत्र मे उल्लेख किया है कि विवादित भूमि ग्राम खेडला बुजुर्ग तह० महवा स्थित खा०नं० 987, 995 142, 143, 144, 155, 189, 190, 63, 968, 986 भूमि सायल व गैर सायल सं० 1 व 2 की सहखातेदारी की भूमि है जिसपर हिस्सा 1/3-1/3 पर बाहमी विभाजन अनुसार काबिज काश्त है। सायल द्वारा विधिवत विभाजन करवाने के लिए गैर सायलान से कहा तो उन्होने इन्कार कर दिया इसलिए विभाजन का दावा पेश किया है तथा दौराने दावा भूमि को किसी प्रकार से खुर्द-बुर्द नहीं करे इसलिए जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा गैर सायलान को पाबन्द करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रा०पत्र के जवाब मे गैर सायलान द्वारा उल्लेख किया है कि वे सहखातेदार हैं, एक ही बाप की संतान है बाहमी बंटवारे के अनुसार काबिज काश्त है।

उपखंड अधिकारी
महवा जिला-दौसा (राज०)

न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधि[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज ....बनाम.............................. मु. सं.
	तथा सायल को उसके हिस्सेकी भूमि मे किसी भी प्रकार से बाधा या व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जा रहा है, तथा दावे को भी प्राथमिक डिग्री किये जाने मे सहमति व्यक्त की है/ वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई बहस मे भी उपरोक्तानुसार कथन दोहराये गये। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। राजस्व रिकार्ड अनुसार सायल व गैर सायलान सं। व 2 सह खातेदार है तथा सगे भाई है। विवादित भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। विधिवत विभाजन नहीं होने तक सह खातेदारों की भूमि मे सभी खातेदारों का बराबर-बराबर अधिकार व प्रत्येक इंच पर सभी का हक होता है, विवादित भूमि मे यदि गैर सायलान द्वारा किसी प्रकार का निर्माण किया जाता है तो भी सायल को विभाजन के पश्चात परेशानी होने का अन्देशा है तथा किसी भी खातेदार के क्षति होने की आशंका रहती है। विभाजन का दावा विचाराधीन है इसलिये न्यायहित मे गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है/ इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला सायल के पक्ष मे प्रतीत होता है/ अतः गैर सायल संख्या 01 व 02 को वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित भूमि ग्राम खेड़ला बुजुर्ग स्थित खसरा नं॰ 987, 995, 142, 143, 144, 155, 189, 190, 63, 968, 986 मे किसी प्रकार का निर्माण नहीं करें तथा सायल के कब्जे काश्त मे उसके हिस्से तक कोई व्यवधान नहीं करें। पत्रावली [illegible] हेतु [illegible] / [illegible]

दावा [illegible]
[illegible]
[illegible]